1	2	3
4.	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और व्यायाम शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।
5.	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ यूथेनिक्स में एल०टी० या बी०टी० या बी०एड० की उपाधि या गृह विज्ञान या गृह कला या गृह शिल्प या पारिवारिक विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा और विभाग या संस्थान या शिक्षण या शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नर्सरी शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ एल०टी० की उपाधि या नर्सरी शिक्षा में विशेष अध्ययन के साथ मास्टर आफ एजूकेशन (एम०एड०) की उपाधि।
	रिप्रोग्राफी अधिकारी	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (दो) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल०टी० डिप्लोमा, या किसी विश्वविद्यालय की बी०टी० या बी०एड० या समकक्ष उपाधि।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएँ (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1975]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

शैक्षिक संस्थाओं की आस्तियों के अपव्यय को निर्धारित करने के अभ्युपायों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत के गणराज्य के पचीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएँ (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'निदेशक' का तात्पर्य, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से है, और इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी है;

(ख) 'संस्था' या 'शैक्षिक संस्था' का तात्पर्य माध्यमिक परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था नहीं है जिसका पोषण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है;

(ग) किसी संस्था के सम्बन्ध में ''प्रबन्धतन्त्र'' का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय या व्यक्ति से है, जिसे उस संस्था के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करने का भार दिया गया हो;

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में, ''सम्पत्ति'' के अन्तर्गत संस्था की अथवा पूर्णता या अन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित (endowed) सभी स्थावर सम्पत्तियाँ भी हैं जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और ऐसी सम्पत्ति से जो प्रबन्ध-तन्त्र के स्वामित्व; कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में हो, उद्भूत होने वाले अन्य अधिकार और हित भी है।

3. सम्पत्ति की तालिका प्रस्तुत करना—प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतन्त्र निदेशक को प्रथमत: इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, और तदुपरान्त प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक संस्था की अथवा उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित (endowed) समस्त सम्पत्तियों की तालिका जिसके साथ ऐसी विशिष्टियाँ (particulars), होंगी जिन्हें निदेशक आवश्यक समझे, उसके द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

4. अपव्यय का निवारण—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से किसी क्रम में होते हुए भी प्रबन्ध तन्त्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा इतना अधिक हो कि उसकी आय से अननुपातिक (disproportionate) हो अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हो जिसे कोई भी प्रज्ञावान प्रबन्धतन्त्र (prudent management) संस्था के हित में व्यय करना उचित समझे और जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत न हो।

विनिर्दिष्ट मत पर विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर अथवा सिवाय विनिर्दिष्ट शार्तों तथा निर्बन्धना के अनुसार व्यय करने से, प्रतिसिद्ध कर सकेगा।

(3) (क) जहाँ प्रबन्धतन्त्र की यह राय हो कि कतिपय व्यय आवश्यक या समीचीन (expedient)किन्तु व्यय का प्रकार या उसकी धनराशि उसकी आय से अननुपातिक है तो प्रबन्धतन्त्र निदेशक को लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना वह व्यय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी मद के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यय के लिए जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971; उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा इन अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि या किसी (Statute) या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन, अथवा राज्य सरकार के या निदेशक के किसी आदेश के अधीन, अथवा न्यायालय के किसी डिग्री के अधीन, प्राधिकृत हो, यदि वह नियमों के आदेशों (norms) या सिद्धान्त के अनुसार अथवा उपर्युक्त अधिनियमिति, नियम, विनियम, उपविधि, परिनियम, अध्यादेश या डिग्री द्वारा या उसके अधीन विहित परिसीमाओं (limits) के भीतर हो, तो इस उपधारा के अधीन निदेशक को स्वीकृति अपेक्षित न होगी।

(ख) प्रबन्धतन्त्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा जो उपधारा 2 के अधीन प्रतिषिद्धि हो।

(4) (क) निदेशक उपधारा (2) के अधीन आदेश के विरुद्ध उसे अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा उपधारा (3) के अधीन स्वीकृति के लिए उसे आवेदन दिये जाने पर; और ऐसे विषयों तथा सूचना पर जिसे वह आवश्यक समझे विचार करने पर शीघ्र अपना आदेश देगा।

(ख) यदि निदेशक, अभ्यावेदन, या आवेदन, और उसके द्वारा इस निमित्त अपेक्षित अन्य दस्तावेजों या सूचना की प्राप्ति के दिनांक से आठ सप्ताह के भीतर अपना आदेश नहीं देता तो यह समझा जायेगा कि उसने प्रबन्धतन्त्र द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है।

(ग) निदेशक अभ्यावेदन या आवेदन को पूर्णत: या अंशत: मन्जूर या नामन्जूर कर सकेगा।

(5) यदि प्रबन्धतन्त्र उपधारा (4) के अधीन निदेशक के आदेश से क्षुब्ध हो तो वह आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा, और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

5. सम्पत्ति के अन्तरण के लिए पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सम्पत्ति का जो शैक्षिक संस्था का हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाये कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है।

(2) प्रबन्धतन्त्र, यदि वह निदेशक के उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति नामन्जूर करने के आदेश से व्यथित हो, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील उसके संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को जिसकी अधिकारिता के भीतर उक्त संस्था या सम्बद्ध सम्पत्ति हो, कर सकेगा और अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम होगा।

6. निदेशक की शक्तियाँ—धारा 4 की उपधारा (4) या 5 की उपधारा (1) के अधीन जाँच के प्रयोजनार्थ निदेशक की निम्नलिखित शक्तियाँ होगीं, अर्थात्—

(क) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, किसी शैक्षिक संस्था के भू-ग्रहादि में प्रवेश करना

(ख) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, शैक्षिक संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा

(ग) ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा वह निर्णय दे, संस्था की निधियों, सम्पत्ति या आय से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना मांगना;

(घ) संस्था की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा प्रबन्धतन्त्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो, या उससे सम्बन्ध रखता हो उपाय करने के लिए निदेश देना, और

(ङ) प्रबन्धतन्त्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था का प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो, संस्था की खोई हुई किसी सम्पत्ति की वापसी के उपाय करने के लिए निदेश देना।

7. शास्ति (penalty)—यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो :—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा उसमें असफल रहेगा, तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दन्डनीय होगा।

8. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी बात के सम्बन्ध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दान्डिक कार्यवाहियों का दायी (liable) नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम अथवा तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुकसान के लिए जो हुआ हो जिसकी सम्भावना हो, अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए जो हुई हो अथवा जिसके होने की सम्भावना हो, किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।

(ग) ऐसे समय और स्थान पर तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा वह निर्णय दे, संस्था की निधियों, सम्पत्ति या आय से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना मांगना;

(घ) संस्था की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा प्रबन्धतन्त्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो, या उससे सम्बन्ध रखता हो उपाय करने के लिए निदेश देना, और

(ङ) प्रबन्धतन्त्र को या किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था का प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो, संस्था की खोई हुई किसी सम्पत्ति की वापसी के उपाय करने के लिए निदेश देना।

7. शास्ति (penalty)—यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे सम्बन्ध रखता हो :—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपा करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा, उसकी उपेक्षा करेगा उसमें असफल रहेगा, तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दन्डनीय होगा।

8. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम त तद्धीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी सम्बन्ध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दान्डिक कार्यवाहियों (liable) नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम अथवा तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुकसान के लिए जो हुआ हो जिसके सम्भावना हो, अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए जो हुई हो अथवा जिसके होने की सम्भावना हो, रा को जिसके विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।